न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज, जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	-	187/2023
सी.आई.एस नंबर	-	187/2023
CNR No.	-	RJBR130002882023
निर्णय दिनाँक	-	16.03.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	250/2022
पुलिस थाना	-	किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 354, 457 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री टीकाराम मीना, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	श्याम उर्फ राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल, उम्र 39 वर्ष, निवासी- तेजाजी का डाण्डा, किशनगंज, पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सूर्यप्रकाश नागर व श्री गिरिराज प्रसाद नागर, विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्त की ओर से।

(B)

अपराध की दिनाँक		21.11.2022
एफ.आई.आर. की दिनाँक		24.11.2022
आरोप पत्र की दिनाँक		24.04.2023
आरोप सुनाये जाने की दिनाँक		24.04.2023
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		16.03.2026
निर्णय सुनाने की दिनाँक		16.03.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	**सुनवाई की दिनाँक**	-

(C)

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनाँक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनाँक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बिताई अवधि
01.	श्याम उर्फ राधेश्याम	12.12.22	16.12.22	341, 323, 354, 457 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	-	12.12.22 से 16.12.22

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	भरोसी बाई	परिवादिया/शिकायतकर्ता
PW-2	रामस्वरूप	औपचारिक साक्षी
PW-3	रोहित कुमार	औपचारिक साक्षी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्र. पी.1 पी.ड.01	इस्तगासा धारा 154(3) सीआर.पी.सी.
02.	प्र. पी.2 पी.ड.01, 02	फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल
03.	प्र. पी.3 पी.ड.01	फर्द वीडियोग्राफी बयान गवाह भरोसी बाई
04.	प्र. पी.4 पी.ड.01	पुलिस बयान गवाह भरोसी बाई
05.	प्र. पी.5 पी.ड.02	पुलिस बयान गवाह रामस्वरूप
06.	प्र. पी.6 पी.ड.03	पुलिस बयान गवाह रोहित कुमार

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(C) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
	निल		

- निर्णय - दिनाँकः 16.03.2026

1. हस्तगत प्रकरण में दिनाँक 10.03.2026 को पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर धारा 341, 323 भा.दं.सं. के अपराध से

अभियुक्त श्याम उर्फ राधेश्याम को बरुए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। अब अभियुक्त के विरुद्ध धारा 457, 354 भा.दं.सं. के अपराध का विचारण शेष है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाँक 22.11.2022 को परिवादिया/शिकायतकर्ता श्रीमती भरोसी बाई पत्नी रामस्वरूप ने पुलिस अधीक्षक बारां, जिला बारां (राज.) को इस्तगासा अंतर्गत धारा 154(3) सीआर.पी.सी. का इस आशय का प्रेषित किया कि वह तहसील कार्यालय के पीछे किशनगंज में निवास करती है तथा वह विवाहित है व 2-3 बच्चों की माँ है। उसके आज से 2-5 साल पहले श्याम से संपर्क में आने के बाद शारीरिक संबंध स्थापित हो गए थे। उसके बाद उसने धमकियाँ देकर देह शोषण किया। इसके बाद उसने श्याम से संबंध खत्म कर दिये और मिलना-जुलना, बोलना बंद कर दिया। फिर वह वह उसका जबरन देह शोषण करने को आमादा होता ओर उसको मजदूरी करने जाते वक्त एवं घर के बाहर आते-जाते समय रास्ते में रोक कर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच करता। उसने पुलिस थाना किशनगंज में 2-3 बार पूर्व में भी रिपोर्ट की, किंतु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। दिनाँक 21.11.2022 को रात्रि में श्याम हाथ में चाकू लेकर उसको जान से मारने के उद्देश्य से घर में घुस गया, जहाँ उसके व उसके परिवारजनों द्वारा श्याम को पकड़ लिया गया और उसे थाना किशनगंज में ले गए तथा रिपोर्ट लिखवायी, किंतु पुलिस ने पुनः छोड़ दिया.....इत्यादि। उक्त इस्तगासा पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) को प्रेषित किया गया, जिस पर पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250/2022 धारा 341, 323, 457, 354, 376 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 457, 354 भा.दं.सं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 341, 323, 457, 354 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझ कर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित साक्ष्य पेश की गई।

5. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के घर में घुसकर परिवादिया की लज्जा भंग की गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे साबित है। अतः दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो गया है। अपराध धारा 457, 354 भारतीय दण्ड संहिता काबिले राजीनामा नहीं होने से राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है। पक्षकारों में कोई विवाद शेष नहीं रहा है। परिवादिया सहित किसी भी गवाह ने अभियोजन

कहानी की ताईद नहीं की तथा पक्षकारान में राजीनामा हो गया है। परिवादिया सहित सभी गवाहान पक्षद्रोही हुए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

(1) क्या अभियुक्त श्याम उर्फ राधेश्याम ने दिनाँक 21.11.2022 को रात्रि में किसी समय मौजा सहरिया कॉलोनी तहसील के पीछे किशनगंज में परिवादिया भरोसी बाई के रिहायशी मकान में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार/रात्रौ गृह भेदन कारित कर परिवादिया भरोसी बाई की लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ झामकझुमा होकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

(2) यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

9. सुना गया, बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादिया श्रीमती भरोसी द्वारा पेश इस्तगासा प्रदर्श पी.1 के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें अभियुक्त श्याम उर्फ राधेश्याम का परिवादिया के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करना अंकित है। उक्त के आधार पर अभियुक्त को आरोपित किया गया है।

10. इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी.ड.01 भरोसी बाई है, जो परिवादिया/पीड़िता होकर शिकायतकर्ता भी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस्तगासा प्रदर्श पी.1 में वर्णित घटना की किंचित मात्र भी ताईद नहीं करते हुए करीब 2-3 साल पहले पड़ौसी श्याम उर्फ राधेश्याम से उसकी आपसी कहासुनी हो जाने, जिसके खिलाफ इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक बारां को देने, इस्तगासा प्रदर्श पी.1, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2, फर्द वीडियोग्राफी बयान भरोसी बाई प्रदर्श पी.3 प्रत्येक पर उसकी अँगूठा निशानी होने की साक्ष्य दी है। उक्त गवाह पूर्णत पक्षद्रोही हुई है, जिसने **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** में पुलिस बयान प्रदर्श पी.4 का ए से बी भाग सुनकर ऐसा बयान देने से इंकार किया। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करती है कि मुलजिम से उसका राजीनामा हो गया है। गवाह **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त** के इस सुझाव को स्वीकार करती है कि उसका मुलजिम श्याम उर्फ राधेश्याम से राजीनामा हो गया है तथा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती। गवाह आगे बताती है कि राधेश्याम जब उनके घर पर आया था, तब दिन था तथा उसने कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं किया था।

11. अभियोजन की ओर से गवाह पी.ड.02 रामस्वरूप को पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जो परिवादिया का पति भी है, अपनी मुख्य परीक्षा में परिवादिया के समान ही करीब 2-3 साल पहले पड़ौसी श्याम उर्फ राधेश्याम से उसकी पत्नी की आपसी कहासुनी हो जाने, जिसके खिलाफ इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक बारां को देने, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 पर उसके हस्ताक्षर होने की

साक्ष्य देता है। गवाह आगे साक्ष्य देता है कि मुलजिम उनका पड़ौसी होने से उन्होंने लोक अदालत की भावना रो राजीनामा कर लिया है तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते। उक्त साक्षी भी पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है, जिसने **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** में पुलिस बयान प्रदर्श पी.5 का ए से बी भाग सुनकर ऐसा बयान देने से इंकार किया तथा इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिम से उनका राजीनामा हो गया है। गवाह दौराने **जिरह अधिवक्ता अभियुक्त** के इस सुझाव को स्वीकार करता है कि मुलजिम श्योम उर्फ राधेश्याम से उनका राजीनामा हो गया है तथा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहते। गवाह आगे बताता है कि राधेश्याम जब उनके घर पर आया था, तब वह अंदर ही बैठा हुआ था तथा उसने कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं किया था और घटना दिन के 4-5 बजे की थी। गवाह पुलिस द्वारा उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाना तथा किस बात के करवाये पुलिस द्वारा नहीं बताया जाना बताता है।

12. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.03 रोहित कुमार को अभियोजन की ओर से पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जो परिवादिया का पुत्र है, घटना से अनभिज्ञता जाहिर करता है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में उसे घटना के बारे में कुछ पता नहीं होने, उस समय 10-12 साल का होने, लड़ाई-झगड़ा हुआ हो तो उसे पता नहीं होने तथा पुलिस द्वारा उसके बयान नहीं लिये जाने की साक्ष्य देता है। उक्त साक्षी भी पूर्णतः पक्षद्रोही हुई है, जिसने दौराने **जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** में पुलिस बयान प्रदर्श पी.6 का ए से बी भाग सुनकर ऐसा बयान देने से इंकार किया तथा इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मुलजिम से उनका राजीनामा हो गया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

13. इस प्रकार परिवादिया पी.ड.01 श्रीमती भरोसी बाई पक्षद्रोही हुई है, जिसने इस्तगासा प्रदर्श पी.1 से विरोधाभासी कथन किए हैं कि करीब 2-3 साल पहले पड़ौसी श्याम उर्फ राधेश्याम से उसकी आपसी कहासुनी हो गई थी तथा मुलजिम उनका पड़ौसी होने से उसने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया और वह आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती। दौराने प्रतिपरीक्षण में भी गवाह मुलजिम से राजीनामा हो जाने तथा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहना तथा राधेश्याम जब उनके घर पर आया, तब दिन होना और कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं करना बताती है। गवाह पी.ड.02 रामस्वरूप भी विरोधाभासी साक्ष्य देता है कि मुलजिम और उसकी पत्नी की आपसी कहासुनी हुई थी तथा उन्होंने मुलजिम से लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है और आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते। गवाह दौराने प्रतिपरीक्षण उसके सामने कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होना, घटना दिन के 4-5 बजे की होना बताता है। गवाह पी.ड.03 रोहित कुमार घटना से अनभिज्ञता जाहिर करता है और घटना के बारे में कुछ पता नहीं होना तथा मुलजिम से उनका राजीनामा हो जाना बताता है।

14. अतः अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गए किसी भी साक्षी ने घटना की ताईद नहीं की है और परिवादिया व अन्य साक्षी ने राजीनामा होने का कथन करते हैं। स्वयं परिवादिया पी.ड.01 भरोसी बाई मुलजिम राधेश्याम उनके घर आया तब दिन होना तथा गवाह पी.ड.02 घटना दिन के 4-5 बजे की होना बताते हैं। पत्रावली पर किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने परिवादिया के रिहायशी मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कर परिवादिया की लज्जा भंग करने के आशय से

उस पर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया हो। इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आई है। अतः **अभियुक्त श्याम उर्फ राधेश्याम** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 354, 457 भा.दं.सं.** के आरोपों से **साक्ष्य के अभाव** में **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

15. परिणामस्वरूप **अभियुक्त श्याम उर्फ राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल, उम्र 39 वर्ष, निवासी- तेजाजी का डाण्डा, किशनगंज, पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.)** को अपराध अंतर्गत **धारा 354, 456 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोपों से **साक्ष्य के अभाव** में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16. **हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को धारा 341, 323 भा.दं.सं. के आरोपों से बरूए राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है।**

17. अभियुक्त की हाजरी बाबत् नियमित जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अपील की अपेक्षा के अध्याधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अंतर्गत अभियुक्त माननीय अपील न्यायालय में उपसंजात होने हेतु पाँच हजार रूपये की जमानत व इसी राशि स्वयं का मुचलका तस्दीक करावे। उक्त बंधपत्र निर्णय की दिनाँक से 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

18. **धारा 357-A सीआर.पी.सी. के तहत प्रतिकरः-** पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में परिवादिया को धारा 357-A सीआर.पी.सी के तहत प्रतिकर दिलाये जाने बाबत अनुशंषा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण मे उक्त धारा के अधीन प्रतिकर बाबत अनुशंषा नहीं की जा रही है।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

19. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)